राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः–10(3)राज–6/01/पार्ट/ 17 जयपुर,दिनांक : 23.09.2011

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

परिपत्र

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन याचिका संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने निर्देश दिये कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमियों, जिनमें खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते का आवंटन अवैध है। ऐसा देखने में आया है कि जिला कलेक्टरों द्वारा एवं उनसे नीचे के अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियों का आवंटन किया जा रहा है।

अतः निर्देशित किया जाता हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमियों का आवंटन किसी भी दशा में नहीं किया जावें। यदि पूर्व में कोई आवंटन कर दिये गये हो तो विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर निरस्त करावे तथा बेदखली की कार्यवाही करें। निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा।

(आर.के. मीणा)
प्रमुख शासन सचिव,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री/मुख्य सचिव महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव राजस्व।
3. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
4 निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
5. समस्त शासन उप सचिव, राजस्व।

शासन उप सचिव